(वाद सं0–2096/4/3/2020)

16.06.2022

प्रसंगाधीन मामला, परिवादी, तेजस्वनी रानी, जो अनुसूचित जाति की एक दिव्यांग महिला है, को जन–वितरण प्रणाली दुकान की अनुज्ञप्ति निर्गत किये जाने से संबंधित है।

पूर्व में उक्त पर जिला पदाधिकारी, बांका से प्रतिवेदन की मांग की गयी थी। जिला पदाधिकारी, बांका द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि नगर परिषद्, बांका का वार्ड संख्या–13, जो अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित है, हेतु परिवादी एक मात्र आवेदिका थी। जिला चयन समिति, बांका द्वारा इस संबंध में विभागीय मार्गदर्शन प्राप्त करने का निर्णय लिया गया।

उपरोक्त पर परिवादी से प्रत्युत्तर की मांग की गयी। परिवादी का कथन है कि विभागीय मार्गदर्शन मांगने की कार्रवाई को लगभग तीन वर्ष बीत चुका है तथा अभी तक उसकी युक्तिसंगत दावे पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सका है।

उपरोक्त पर राज्य आयोग द्वारा जिला पदाधिकारी, बांका से प्रसंगाधीन मामले में अद्यतन प्रतिवेदन की मांग की गयी। जिला पदाधिकारी, बांका द्वारा राज्य आयोग को सूचित किया गया कि जिला चयन समिति की बैठक की कार्रवाई में लिये गये निर्णय के आधार पर परिवादी, श्रीमति तेजस्वनी रानी, को जन–वितरण प्रणाली की दुकान की नयी अनुज्ञप्ति निर्गत कर दी गयी है। जिला पदाधिकारी, बांका द्वारा अपने प्रतिवेदन के साथ जिला चयन समिति की दिनांक–12.08.2021 की कार्यवाही की प्रति व अनुमंडल पदाधिकारी, बांका के प्रतिवेदन की प्रति संलग्न किया गया है।

अब, जबकि परिवादी के शिकायत का समुचित प्राधिकार द्वारा संतोषजनक समाधान किया जा चुका है तो ऐसी स्थिति में उक्त के संबंध में राज्य आयोग के स्तर से अग्रेत्तर कार्रवाई का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

वर्णित स्थिति में प्रसंगाधीन मामले को जिला पदाधिकारी, बांका के प्रतिवेदन के आलोक में राज्य आयोग के स्तर से इसे संचिकास्त किया जाता है।

कार्यालय, आज पारित आदेश के साथ जिला पदाधिकारी, बांका के प्रतिवेदन (पृ0–53–41/प0) की प्रति सलंग्न कर तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

<u>निबंधक</u>